फार्म नं. 3

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर मुकाम

भूराराम वगैरा बनाम दल्लीदेवी

किस्म मुकदमा राजस्व वाद 88, 188 RTA नं. सन् 31/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.2018	**निर्णय** वादीगण भूराराम, गंगाराम पिसरान महेशाराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी पटवार मण्डल खुडासा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया जिसे वाद पंजीयन किये जाने के आदेश दिये गये। अटल सेवा केन्द्र खुडासा पर दोनो पक्ष एवं उनके अधिवक्तागण ने उपस्थित होकर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर खातेदारी हक की घोषणा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 दल्लीदेवी का रिश्ता माता एवं पुत्र का है। गत बन्दोबस्त में ग्राम जेताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील बाडमेर में स्थित खसरा नम्बर 93 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 94 रकबा 117.02 बीघा में वादीगण के पिता महेशाराम की खातेदारी में अंकित हुआ एवं स्वर्गीय महेशाराम की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उसकी धर्मपत्नी श्रीमती दल्लीदेवी के नाम खातेदारी में अंकित हुई। वादीगण स्वर्गीय महेशाराम के जायज वारिसान् होने से प्रतिवादी दल्लीदेवी के नाम अंकित खातेदारी भूमि में अपना हिस्सा अंकित करवाने के अधिकारी है। इस तथ्य को प्रतिवादीनी दल्लीदेवी ने मजमे आम में उपस्थित होकर स्वीकार किया। वादपत्र के समर्थन में उभय पक्ष द्वारा पहचान पत्र भी प्रस्तुत किये एवं दोनों पक्षों की उनके अधिवक्ता गण द्वारा पहचान दी गई। वाद पत्र के समर्थन में वादी भूराराम एवं प्रतिवादीनी दल्लीदेवी पत्नी स्वर्गीय महेशाराम द्वारा साक्ष्य के रूप मे अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को मजमे आम में सुना गया एवं वाद	

नि. अ. भूरा

नि. गंगा

नि. अ. दल्ली

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व वाद संख्या 31/2018 अनवान भूराराम बनाम दल्लीदेवी

पत्र पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, जमाबन्दी, खतोनी बन्दोबस्त का भी अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय महेशाराम पुत्र रिखबाराम की खातेदारी में अंकित होना पाया गया है। खातेदार महेशाराम की मृत्यु पश्चात उक्त भूमि उसकी धर्मपत्नी दल्लीदेवी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित होना भी प्रस्तुत अभिलेख से प्रमाणित है। प्रतिवादीनी दल्लीदेवी अपने पुत्रों का हिस्सा अपनी खातेदारी में अंकित करवाने में पूर्णतया सहमत है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील बाडमेर में स्थित खसरा नम्बर 93 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 94 रकबा 117.02 बीघा भूमि में खातेदारी दल्लीदेवी पत्नी महेशाराम के साथ वादीगण भूराराम, गंगाराम पिसरान महेशाराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी को सहखातेदार घोषित किया जाकर प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अमल दरामद सुनिश्चित करावे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner